अध्याय 1

प्रत्यक्ष कर प्रशासन

1.1 संघ सरकार के संसाधन

1.1.1 भारत सरकार के संसाधनों में संघ सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, ट्रेजरी बिल जारी करके लिए गए सभी ऋण, आंतरिक एवं बाह्य ऋण तथा ऋण के पुनर्भुगतान में सरकार को प्राप्त सभी धन शामिल हैं। संघ सरकार के कर राजस्व संसाधनों में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर से प्राप्त राजस्व शामिल हैं। निम्न तालिका 1.1 वित्तीय वर्ष (वि.व.) 2017-18 और वि.व. 2016-17 के लिए संघ सरकार के संसाधनों का सारांश प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.1: संघ सरकार के संसाधन		**(₹ करोड़ में)**
	वि.व. 2017-18	**वि.व. 2016-17**
क. कुल राजस्व प्राप्तियां	23,64,148	22,23,988
i. प्रत्यक्ष कर प्राप्तियां	*10,02,738*	*8,49,801*
ii. अन्य करों सहित अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियां [1]	*9,16,445*	*8,66,167*
iii. गैर-कर प्राप्तियाँ	*4,41,383*	*5,06,721*
iv. अनुदान सहायता और योगदान	*3,582*	*1,299*
ख. विविध पूँजी प्राप्तियां [2]	1,00,049	47,743
ग. ऋणों और अग्रिमों की वसूली [3]	70,639	40,971
घ. सार्वजनिक ऋण प्राप्तियां [4]	65,54,002	61,34,137
भारत सरकार की प्राप्तियां (क + ख + ग + घ)	**90,88,838**	**84,46,839**

स्रोत: संबंधित वर्षों के संघ वित्त लेखे। प्रत्यक्ष कर प्राप्तियों और अन्य करों सहित अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियों की संगणना संघ वित्त लेखे से की गई है। कुल राजस्व प्राप्तियों में सीधे राज्यों को सौंपे गए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों की निवल प्राप्तियों के हिस्से के रूप में वि.व. 2017-18 में ₹6,73,005 करोड़ और वि.व. 2016-17 में ₹6,08,000 करोड़ शामिल हैं।

1.1.2 वि.व. 2017-18 में, भारत सरकार की प्राप्तियों में वृद्धि मुख्यत: सार्वजनिक ऋण प्राप्तियों और कुल राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि द्वारा होती है। वि.व. 2017-18 में प्रत्यक्ष कर कुल राजस्व प्राप्तियों का 42.4 *प्रतिशत* था जिससे पिछले वर्ष की प्राप्तियों की तुलना में 18.0 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई।

1.2 प्रत्यक्ष करों का स्वरूप

1.2.1 संसद द्वारा उदग्रहीत प्रत्यक्ष करों में मुख्यत: शामिल हैं:

i. कम्पनियों की आय पर उदग्रहीत **निगम कर**;

---

1 अप्रत्यक्ष कर माल और सेवाओं पर लगाया गया जैसे कि सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेवा कर, केंद्रीय वस्तु ओर सेवा कर, एकीकृत माल और सेवा कर आदि;

2 इसमे बोनस शेयर का मूल्य, सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों के विनिवेश तथा अन्य प्राप्तियां शामिल हैं;

3 संघ सरकार द्वारा दिए गए ऋणों तथा अग्रिमों की वसूली;

4 भारत सरकार द्वारा आंतरिक के साथ साथ बाह्य उधारियां;

ii. व्यक्तियों की आय पर उद्ग्रहीत **आयकर** (कम्पनियों को छोड़कर);

iii. प्रतिभूति लेनदेन कर[5], धनकर[6] आदि सहित **अन्य प्रत्यक्ष कर**।

1.2.2 तालिका 1.2 प्रत्यक्ष कर प्रशासन का एक आशुचित्र उपलब्ध कराती है।

तालिका 1.2: प्रत्यक्ष कर प्रशासन

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
					₹ करोड़ में
1. प्रत्यक्ष कर संग्रहण	6,38,596	6,95,792	7,42,012	8,49,801	10,02,738
क. निगम कर	3,94,678	4,28,925	4,53,228	4,84,924	5,71,202
ख. आयकर	2,37,870	2,58,374	2,80,390	3,40,592	4,08,202
ग. अन्य प्रत्यक्ष कर	6,048	8,493	8,394	24,285	23,334
2. प्रतिदाय	89,060	1,12,163	1,22,596	1,62,582	1,51,639
3. प्रतिदाय पर ब्याज	6,598	5,332	6,886	10,312	17,063
					संख्या लाख में
4. फाईल की गई वास्तविक रिटर्न					
क. गैर-निगमित निर्धारितियों	304.0	360.6	398.0	436.9	537.9
ख. निगमित निर्धारितियों	6.4	6.8	6.9	7.1	8.0
5. राजस्व व्यय (₹ करोड़ में)	3,687	4,148	4,689	5,623	6,172

स्रोत: क्रम सं. 1 और 5संघ वित्त लेखे, क्रम सं. 2 प्र. सीसीए, सीबीडीटी और क्रम सं. 3 से 4 आयकर प्र. महानिदेशालय (प्रशा. एवं करदाता सेवाएं), शोध एवं सांख्यिकी विंग

1.2.3 निम्न तालिका 1.3 में आय की विभिन्न श्रेणियों में गैर-निगमित निर्धारितियों के विवरण दर्शाये गये हैं-

तालिका 1.3: गैर-निगमित निर्धारिती **(आंकड़े लाख में)**

वित्तीय वर्ष	**क**[7]	**ख$_1$**[8]	**ख$_2$**[9]	**ग**[10]	**घ**[11]	**कुल**
2013-14	117.23	135.79	34.24	16.72	0.05	304.03
2014-15	76.32	216.31	46.11	21.80	0.01	360.55
2015-16	55.93	264.47	52.94	24.69	0.01	398.04
2016-17	54.17	290.16	61.85	30.69	0.02	436.89
2017-18	61.16	360.63	79.04	37.05	0.02	537.90

स्रोत: आयकर प्र. महानिदेशालय (प्रशा. एवं करदाता सेवाएं), शोध एवं सांख्यिकी विंग। यह आंकड़े संबंधित वर्ष के दौरान वास्तविक फाईल की गई रिटर्न के आधार पर हैं।

5 भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचैंज के माध्यम से खरीदी गई और बेची गई कर योग्य प्रतिभूतियों के मूल्य पर कर।

6 निवल धन पर प्रभार्य कर में धनकर अधिनियम 1957 की धारा 2(ईए) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट कुछ परिसम्पत्तियां शामिल है। धन कर को वित्त अधिनियम, 2015 द्वारा समाप्त कर दिया गया है।

7 श्रेणी 'क' निर्धारिती - ₹ 2 लाख से नीचे की आय/हानि वाले निर्धारण;

8 श्रेणी 'ख'$_1$ निर्धारिती (निम्न आय समूह) - ₹ दो लाख और उससे अधिक परन्तु ₹ दो लाख से नीचे की आय/हानि वाले निर्धारण;

9 श्रेणी 'ख'$_2$ निर्धारिती (उच्च आय समूह) - ₹ पांच लाख और उससे अधिक; परंतु ₹ 10 लाख से नीचे आय/हानि वाले निर्धारण;

10 श्रेणी 'ग' निर्धारिती - ₹ 10 लाख और उससे अधिक की आय/हानि वाले निर्धारण

11 श्रेणी 'घ' निर्धारिती - तलाशी और जब्ती निर्धारण

गैर-निगमित निर्धारितियों की संख्या में वि.व. 2016-17 में 9.8 *प्रतिशत* की वृद्धि की तुलना में वि.व. 2017-18 में 23.1 *प्रतिशत* की वृद्धि दर्ज की थी। जैसा कि उपरोक्त तालिका 1.3 और चार्ट 1.1 से देखा जा सकता है, वि.व. 2016-17 की तुलना में वि.व. 2017-18 के दौरान श्रेणी 'ख$_1$', श्रेणी 'ख$_2$' और श्रेणी 'ग' में 24.3 *प्रतिशत*, 27.8 *प्रतिशत* और 20.7 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई। तथापि, इन श्रेणियों में विगत वर्षों की तुलना में वि.व. 2016-17 के दौरान 9.7 *प्रतिशत*, 16.8 *प्रतिशत* और 24.3 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई थी।

चार्ट 1.1 गैर निगमित निर्धारितियों के आय-वार विवरण

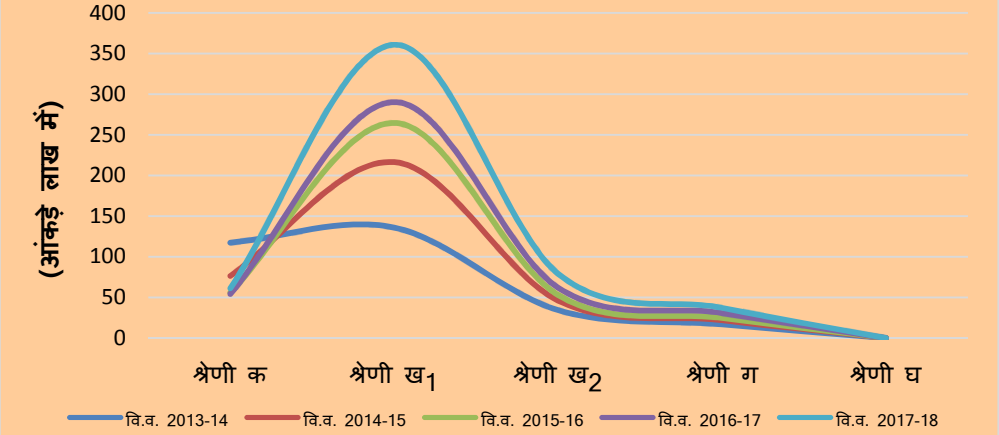

1.2.4 निम्न तालिका 1.4 में आय की विभिन्न श्रेणियों में निगमित निर्धारितियों के विवरण दर्शाये गये हैं।

तालिका 1.4: निगमित निर्धारिति **(आंकड़ें लाख में)**

वित्तीय वर्ष	क[12]	ख$_1$[13]	ख$_2$[14]	ग[15]	घ[16]	कुल	₹ 25 लाख से अधिक की आय वाले निर्धारिती	31 मार्च को आरओसी के अनुसार कार्य करने वाली कंपनियां
2013-14	4.14	0.89	0.31	1.01	0.01	6.36	0.65	9.52
2014-15	3.20	1.51	0.48	1.56	0.00*	6.75	0.69	10.16
2015-16	3.08	1.59	0.50	1.71	0.00^	6.88	0.76	10.82
2016-17	3.14	1.65	0.53	1.81	0.00#	7.13	1.44	11.11
2017-18	3.57	1.85	0.58	1.99	0.00$	7.99	1.31	10.49

स्रोत: आयकर प्र. महानिदेशालय (प्रशा. एवं करदाता सेवाएं), शोध एवं सांख्यिकी विंग। यह आंकड़े संबंधित वर्ष के दौरान वास्तविक फाईल की गई रिटर्न के आधार पर हैं।

* 256 निर्धारिती; ^ 337 निर्धारिती; # 134 निर्धारिती; $ 195 निर्धारिती

[12] श्रेणी 'क' निर्धारिती - ₹ 50,000 से कम आय/हानि वाले निर्धारण;

[13] श्रेणी 'ख'$_1$ निर्धारिती (निम्न आय समूह) - ₹ 50,000 और उससे अधिक परंतु ₹ पांच लाख से नीचे की आय/हानि वाले निर्धारण;

[14] श्रेणी 'ख'$_2$ निर्धारिती (उच्च आय समूह) - ₹ पांच लाख और उससे अधिक; परंतु ₹ 10 लाख से नीचे की आय/हानि वाले निर्धारण;

[15] श्रेणी 'ग' निर्धारिती - ₹ 10 लाख और उससे अधिक की आय/हानि वाले निर्धारण;

[16] श्रेणी 'घ' निर्धारिती - तलाशी और जब्ती वाले निर्धारण;

निगमित निर्धारितियों में वि.व. 2016-17 में 3.6 *प्रतिशत* की वृद्धि की तुलना में वि.व. 2017-18 में 12.1 *प्रतिशत* की वृद्धि दर्ज की गई।

चार्ट 1.2: निगमित निर्धारितियों के आय-वार विवरण

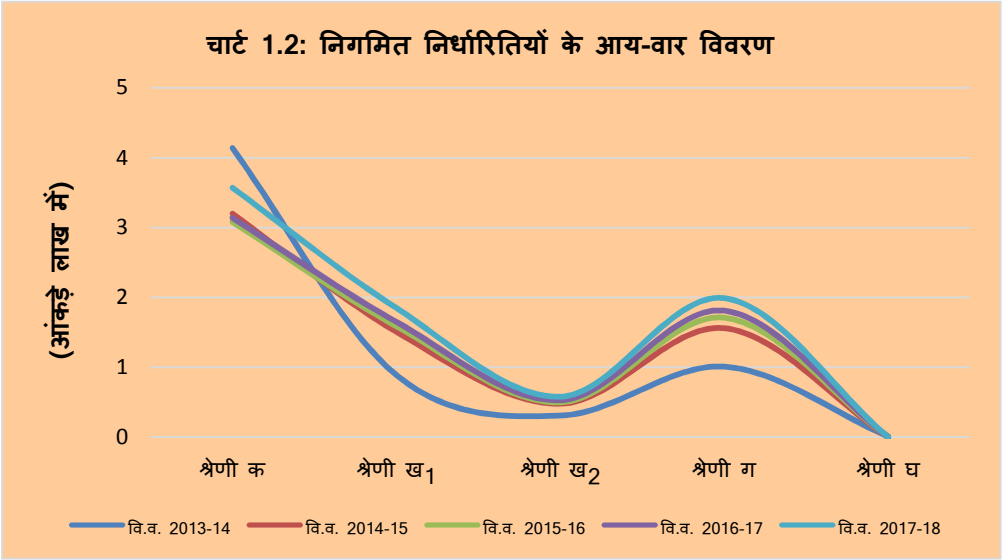

1.2.5 कम्पनियों के रजिस्ट्रार (आरओसीज़)[17] के डाटा के अनुसार कुल कार्यरत कम्पनियों के आंकडे की आयकर विभाग के अनुसार कुल फाइलर्स के साथ तुलना से पता चला कि पहचाने गए नॉन फाइलर्स द्वारा अनुपालन सुनिश्चित कराना प्रभावी नहीं है। वि.व. 2016-17 के अनुसार आरओसी के साथ पंजीकृत 11.11 लाख कम्पनियां थी जिसके प्रति यह देखा गया कि वि.व. 2017-18 में, केवल 8.0 लाख कम्पनियों ने आयकर रिटर्न फाइल किया था। यद्यपि सभी कार्यरत कम्पनियों (चाहे लाभ अर्जन करने वाली या हानि करने वाली) को आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधान के अनुसार अपनी आयकर रिटर्न फाइल करना अपेक्षित है, जबकि आरओसी में ऐसी पंजीकृत चालू कंपनियों ने वि.व. 2015-16 में 34.4 *प्रतिशत* के विपरीत वि.व. 2016-17 में 28.0 *प्रतिशत* ने अपनी आयकर रिटर्न फाइल नहीं की।

1.3 सीबीडीटी के कार्य एवं उत्तरदायित्व

1.3.1 वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग (डीओआर) के अन्तर्गत केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) भारत में प्रत्यक्ष करों की नीति और योजना बनाने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करता है। उसके साथ-साथ, यह आयकर विभाग (आईटीडी) के माध्यम से प्रत्यक्ष कर कानूनों के प्रशासन के लिए भी उत्तरदायी है। आयकर विभाग प्रत्यक्ष करों के उद्ग्रहण और संग्रहण से संबंधित मामलों के साथ कर अपवंचन, राजस्व आसूचना, कर आधार बढ़ाने, करदाताओं को

[17] स्रोत: कॉरपोरेट मामला मंत्रालय, सांख्यिकीय डिविजन, नई दिल्ली

सेवाएं प्रदान करने, शिकायत निवारण तंत्र आदि से संबंधित मामलों को देखता है।

1.3.2 31 मार्च 2018[18] को आईटीडी की समस्त स्टाफ संख्या और कार्यरत संख्या क्रमश: 74,336 तथा 41,338 हैं। अधिकारियों[19] की संस्वीकृत और कार्यरत संख्या क्रमश: 10,865 और 9,445 है। वर्ष 2017-18 के लिए राजस्व व्यय ₹ 6,172 करोड़[20] हैं।

1.4 प्रत्यक्ष कराधान की बजटिंग

1.4.1 बजट सरकार की दृष्टि एवं उद्देश्य को प्रदर्शित करता है। राजस्व बजट में सरकार की राजस्व प्राप्तियां (कर राजस्व और अन्य राजस्व) और शामिल होती हैं। बजट अनुमानों के तदनुरूपी वास्तविक से तुलना राजकोषीय प्रबंधन की गुणवत्ता का संकेतक है। वास्तविकता अप्रत्याशित और यादृच्छिक रूप से बाह्य घटनाओं या प्रणालीगत अपर्याप्तताओं या अवास्तविक धारणाओं के कारण अनुमानों से भिन्न हो सकती है।

1.4.2 निम्न तालिका 1.5 वि.व. 2013-14 से वि.व. 2017-18 के दौरान बजट अनुमानों (बीई), संशोधित अनुमानों (आरई) तथा प्रत्यक्ष करों के वास्तविक संग्रहण के ब्यौरे दर्शाती है।

तालिका 1.5: प्रत्यक्ष करों के वास्तविक संग्रहण की तुलना में बजट अनुमान, संशोधित अनुमान **(₹ करोड़ में)**

वित्तीय वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक	वास्तविक माइनस बजट अनुमान	वास्तविक माइनस संशोधित अनुमान	बजट अनुमानों के *प्रतिशत* के रूप में अंतर	संशोधित अनुमानों के *प्रतिशत* के रूप में अंतर
2013-14	6,68,109	6,36,318	6,38,596	(-) 29,513	2,278	(-) 4.4	0.4
2014-15	7,36,221	7,05,628	6,95,792	(-) 40,429	(-) 9,836	(-) 5.5	(-) 1.4
2015-16	7,97,995	7,52,021	7,42,012	(-) 55,983	(-) 10,009	(-) 7.0	(-) 1.3
2016-17	8,47,097	8,47,097	8,49,801	2,704	2,704	0.3	0.3
2017-18	9,80,000	10,05,000	10,02,738	22,738	(-) 2,262	2.3	(-) 0.2

स्त्रोत: बीई और आरई आंकड़े संबंधित प्राप्ति बजट और वास्तविक संबंधित वित्तीय लेखाओं के अनुसार हैं।

1.4.3 संशोधित अनुमानों और वास्तविक संग्रहण के बीच भिन्नता वि.व. 2013-14 से वि.व. 2017-18 की अवधि के दौरान संशोधित अनुमानों के (-) 1.4 *प्रतिशत* से 0.4 *प्रतिशत* के बीच थी। बजट अनुमानों और वास्तविक के

[18] एसीआईटी/एडीआईटी और उससे उपर के संस्वीकृत और कार्यरत संख्या के आंकडे 25 अक्तूबर 2017 के हैं

[19] प्र.सीसीआईटी/प्र.डीजीआईटी, सीसीआईटी/डीजीआईटी, प्र सीआईटी/प्र.डीआईटी, सीआईटी/डीआईटी, अपर सीआईटी/ अपर डीआईटी, डीआईटी/जेसीआईटी/जेडीआईटी/डीसीआईटी/ डीडीआईटी, एसीआईटी/एडीआईटी तथा आईटीओज़

[20] वि.व. 2016-17 के संघ वित्त लेखे।

बीच भिन्नता उक्त अवधि में ही संशोधित अनुमानों और वास्तविक के बीच भिन्नता की तुलना में अधिक थी।

1.5 प्रत्यक्ष करों में वृद्धि

1.5.1 निम्न तालिका 1.6 वि.व. 2013-14 से वि.व. 2017-18 के दौरान सकल कर प्राप्तियों[21] (जीटीआर) और सकल घरेलू उत्पादों (जीडीपी) के संदर्भ में प्रत्यक्ष करों (डीटी) की संबंधित वृद्धि को दर्शाती है।

तालिका 1.6: प्रत्यक्ष करों की वृद्धि **(₹ करोड़ में)**

वित्तीय वर्ष	डीटी	जीटीआर	जीटीआर के *प्रतिशत* के रूप में डीटी	जीडीपी	डीटी जीडीपी के *प्रतिशत* के रूप में
2013-14	6,38,596	11,38,996	56.1	1,13,45,056	5.6
2014-15	6,95,792	12,45,135	55.9	1,25,41,208	5.5
2015-16	7,42,012	14,55,891	51.0	1,35,76,086	5.5
2016-17	8,49,801	17,15,968	49.5	1,51,83,709	5.6
2017-18	10,02,738	19,19,183	52.2	1,67,73,145	6.0

स्रोत: प्रत्यक्ष कर तथा जीटीआर-संघ वित्त लेखे, जीडीपी-केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय; वि.व. 2017-18 के लिए जीडीपी-31 मई 2018 को सीएसओ द्वारा प्रकाशित प्रकाशित प्रैस नोट।

1.5.2 यद्यपि, वि.व. 2016-17 की तुलना में वि.व. 2017-18 में डीटी में 18.0 *प्रतिशत* तक वृद्धि हुई, फिर भी जीटीआर में प्रत्यक्ष करों के भाग में वि.व. 2016-17 की तुलना में वि.व. 2017-18 में (2.7 *प्रतिशत*) तक वृद्धि हुई। वि.व. 2016-17 में 5.6 *प्रतिशत* की तुलना में प्रत्यक्ष कर वि.व. 2017-18 के दौरान जीडीपी का 6.0 *प्रतिशत* था।

1.5.3 निम्न तालिका 1.7 वि.व. 2013-14 से वि.व. 2017-18 के दौरान प्रत्यक्ष करों और अपने प्रमुख संघटकों जैसे निगम कर (सीटी) और आयकर (आईटी) में वृद्धि को दर्शाती है।

तालिका 1.7: प्रत्यक्ष करों और इसके प्रमुख घटकों की वृद्धि **(₹ करोड़ में)**

वित्तीय वर्ष	प्रत्यक्ष कर	पिछले वर्ष की तुलना में *प्रतिशत* वृद्धि	निगम कर	पिछले वर्ष की तुलना में *प्रतिशत* वृद्धि	आयकर	पिछले वर्ष की तुलना में *प्रतिशत* वृद्धि
2013-14	6,38,596	14.2	3,94,678	10.8	2,37,870	20.8
2014-15	6,95,792	9.0	4,28,925	8.7	2,58,374	8.6
2015-16	7,42,012	6.6	4,53,228	5.7	2,80,390	8.5
2016-17	8,49,801	14.5	4,84,924	7.0	3,40,592	21.5
2017-18	10,02,738	18.0	5,71,202	17.8	4,08,202	19.9

स्रोत: संघीय वित्तीय लेखे

21 इसमें सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर शामिल हैं।

1.5.4 वि.व. 2016-17 में आयकर में 21.5 *प्रतिशत* तथा निगम कर में 7.0 *प्रतिशत* की वृद्धि की तुलना में वि.व. 2017-18 में आयकर में 19.9 *प्रतिशत* तथा निगम कर में 17.8 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई थी।

1.5.5 निगम तथा आयकर दोनों के संबंध में प्रत्यक्ष कर संग्रहण के विभिन्न स्तरों पर कर कटौती (टीडीएस), अग्रिम कर, स्व-निर्धारण कर, नियमित निर्धारण कर हैं। टीडीएस, अग्रिम कर तथा स्व-निर्धारण कर के माध्यम से पूर्व निर्धारण संग्रहण, प्रणाली में स्वैच्छिक अनुपालन का सूचक है। नियमित निर्धारण स्तर के माध्यम से किया गया कर संग्रहण पश्च निर्धारण पर होता है।

1.5.6 निम्न तालिका 1.8 वि.व. 2013-14 से वि.व. 2017-18 के दौरान विभिन्न चरणों के तहत निगम और आय कर के संग्रहण को दर्शाती है।

तालिका 1.8: निगम और आयकर का संग्रहण (₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	टीडीएस	अग्रिम कर	स्व-निर्धारण कर	पूर्व मूल्यांकन संग्रहण (कॉ. 2 + 3 + 4)	कुल पूर्व-आकलन संग्रहण का *प्रतिशत*	नियमित मूल्यांकन कर	अन्य प्राप्तियां	कुल संग्रह (कॉ. 5 + 7 + 8)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2013-14	2,48,547	2,92,522	44,123	5,85,192	81.1	72,528	63,884	7,21,604
2014-15	2,59,106	3,26,525	52,050	6,37,681	79.8	80,189	81,589	7,99,459
2015-16	2,87,412	3,52,899	54,860	6,95,171	81.2	63,814	96,940	8,55,925
2016-17	3,44,134	4,06,769	68,160	8,19,063	82.8	74,138	95,886	9,89,087
2017-18	3,80,641	4,70,242	83,219	9,34,102	82.6	92,044	1,04,897	11,31,043

स्रोत: प्र.सीसीए, सीबीडीटी। अन्य प्राप्तियों में अधिभार तथा उपकर शामिल हैं। संग्रहण आंकड़ों में प्रतिदाय भी शामिल है। वि.व. 2016-17 में टीडीएस संग्रहण के आंकडों में ₹ 3,43,134 करोड़ से ₹ 3,44,134 करोड़ संशोधित किये गये हैं। वि.व. 2017-18 में, संघ वित्त लेखों की तुलना में आयकर संग्रहण में ₹ 79 लाख का अंतर है।

1.5.7 तालिका 1.8 के अनुसार स्रोत पर काटे गए कर का डाटा यह दर्शाता है कि टीडीएस में वि.व. 2013-14 से वि.व. 2017-18 तक की अवधि में 53.1 *प्रतिशत* की वृद्धि दर्शाते हुए वि.व. 2013-14 में ₹ 2.5 लाख करोड़ से वि.व. 2017-18 में ₹ 3.8 लाख करोड़ की वृद्धि हुई है। उपरोक्त अवधि में स्वयं-निर्धारण कर और अग्रिम कर में क्रमश: 88.6 *प्रतिशत* और 60.8 *प्रतिशत* तक वृद्धि हुई।

1.6 कर प्रोत्साहन के राजस्व प्रभाव

1.6.1 किसी कर कानून तथा इसके प्रशासन का प्रमुख उद्देश्य सरकारी व्ययों के वित्तपोषण हेतु राजस्वों को बढ़ाना हैं। सृजित राजस्व की राशि प्राथमिक रूप से कर आधार और प्रभावी कर दरों पर निर्भर करती हैं। इन दो कारकों के निर्धारक उपायों की श्रेणी है जिसमें विशेष कर दरें, छूटें, कटौतियाँ, रियायतें, आस्थगित अदायगी और क्रेडिट शामिल है। इन उपायों को सामूहिक रूप से 'कर

प्रोत्साहन या कर प्राथमिकता' कहा जाता है। इन्हें कर व्यय के रूप में भी संदर्भित किया जाता है।

1.6.2 आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम), अन्य विषयों के साथ-साथ, निर्यात संवर्धन, संतुलित क्षेत्रीय विकास, संरचनात्मक सुविधाओं का सृजन, रोजगार, ग्रामीण विकास, वैज्ञानिक शोध और विकास, सहकारी क्षेत्र में वृद्धि तथा व्यक्तियों द्वारा बचत तथा धर्मार्थ दान हेतु कर प्रोत्साहनों का प्रावधान करता है। इनमें से अधिकतर कर लाभों को निगमित और गैर-निगमित दोनों करदाताओं द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।

1.6.3 संघ प्राप्ति बजट निगमित और गैर निगमित करदाताओं द्वारा केवल इलेक्ट्रोनिक रूप से फाइल की गई रिटर्न के आधार पर प्रमुख प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव के विवरण को दर्शाता है। निम्न तालिका 1.9 वि.व. 2013-14 से वि.व. 2017-18 के दौरान प्रमुख कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव को दर्शाती है।

तालिका 1.9: कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव **(₹ करोड़ में)**

वित्तीय वर्ष	कर प्रोत्साहनों का कुल राजस्व प्रभाव	*प्रतिशत* के रूप में राजस्व प्रभाव		
		जीडीपी	डीटी	जीटीआर
2013-14	93,047	0.8	14.6	8.2
2014-15	1,18,593	0.9	17.0	9.5
2015-16	1,38,658	1.0	18.7	9.5
2016-17	1,55,840	1.0	18.3	9.1
2017-18	1,67,603	1.0	16.7	8.7

नोट: कर प्रोत्साहन के राजस्व प्रभाव के आंकड़ें वि.व. 2017-18 (अनुमानित) को छोड़कर वास्तविक हैं। इनमें धर्मार्थ संस्थान शामिल नहीं हैं। तथापि, धर्मार्थ संस्थाओं द्वारा नवंबर 2017 तक इलैक्ट्रानिक रूप से फाईल की गई 1,37,869 रिटर्न के संबंध में ₹ 3,33,972 करोड़ प्रयोग किये गये थे। स्रोत: संबंधित प्राप्ति बजट

वि.व. 2018-19 के प्राप्ति बजट में बताये अनुसार, 34.38 *प्रतिशत* की औसत सांविधिक दर के विपरीत वि.व. 2016-17 के लिए निगम कर की प्रभावी दर 26.89 *प्रतिशत* थी।

1.6.4 वि.व. 2017-18 में दिये गये मुख्य कर प्रोत्साहन के संबंध में धारा 32 के अंतर्गत तीव्र मूल्यह्रास कटौतियां (₹ 66,310 करोड़), धारा 80सी के अंतर्गत विशेष निवेश और भुगतान (₹ 58,933 करोड़), धारा 10एए के अंतर्गत एसईजेड एसईजेड इकाईयों के निर्यात लाभ की कटौतियां (₹ 22,344 करोड़), धारा 80-आईए के तहत ऊर्जा के उत्पादन/संचरण एवं वितरण में उपक्रमों में कटौतियां (₹ 13,321 करोड़), धारा 35(1), (2एए) और (2एबी) के अंतर्गत वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय के लिए कटौतियां (₹ 11,022 करोड़) थीं।

1.6.5 विगत पांच वर्षों के दौरान, कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव में सुनिश्चित रूप से बढ़ रहे हैं। तथापि, वि.व. 2015-16 से प्रत्यक्ष कर प्राप्तियों और निवल कर प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में ये कम होता जा रहा है।

1.7 प्रतिदाय मामलों का निपटान

1.7.1 तालिका 1.10 वि.व. 2013-14 से वि.व. 2017-18 के दौरान प्रत्यक्ष प्रतिदाय मामलों के निपटान एवं लम्बन की प्रवृति को दर्शाती है।

तालिका 1.10: प्रत्यक्ष प्रतिदाय मामलों का निपटान				(संख्या लाख में)
वित्तीय वर्ष	निपटान हेतु बकाया प्रत्यक्ष प्रतिदाय मामले	निपटान किए गए प्रत्यक्ष प्रतिदाय मामले	लंबित प्रत्यक्ष प्रतिदाय मामले	प्रतिशतता में लम्बन
2013-14	34.5	25.7	8.8	25.5
2014-15	31.5	22.6	8.9	28.1
2015-16	38.9	33.4	5.5	14.2
2016-17	43.6	38.9	4.7	10.7
2017-18	44.6	39.8	4.8	10.8

स्रोत: आयकर प्र. महानिदेशालय (प्रशा. एवं करदाता सेवाएं), शोध एवं सांख्यिकी विंग

1.7.2 यह देखा गया कि 2013-14 से 2017-18 के दौरान प्रत्यक्ष प्रतिदायों मामलों के लंबन में काफी कमी आई है।

1.7.3 वि.व. 2017-18 में सरकार ने ₹ 1,51,639 करोड़ वापस किये जिसमें ₹ 17,063 करोड़ (11.3 *प्रतिशत*) ब्याज शामिल हैं। वि.व. 2016-17 में प्रतिदाय पर दिया गया ब्याज ₹ 1,62,582 करोड़ के प्रतिदाय पर ₹ 10,312 करोड़ (6.3 *प्रतिशत*) था।

1.8 बकाया मांग

1.8.1 वि.व. 2013-14 से वि.व. 2017-18 के दौरान लंबित मांग की बकाया राशि की प्रवृति तालिका 1.11 में दर्शाई गई है।

तालिका 1.11: बकाया मांग				(₹ करोड़ में)
वित्तीय वर्ष	पिछले वर्षों की बकाया मांग	वर्तमान वर्ष की बकाया मांग	कुल बकाया मांग	वसूली हेतु दुष्कर मांग
2013-14	4,80,066	95,274	5,75,340	5,52,538
2014-15	5,68,724	1,31,424	7,00,148	6,73,032
2015-16	6,67,855	1,56,356	8,24,211	8,02,256
2016-17	7,33,229	3,11,459	10,44,688	10,29,725
2017-18	7,36,975	3,77,207	11,14,182	10,94,023

स्रोत: आयकर निदेशालय (संगठन एवं प्रबंधन सेवाएं), संबंधित वि.व. के मार्च माह हेतु मांग एवं संग्रहण रिपोर्ट (सीएपी-1)।

1.8.2 संबंधित वित्तीय वर्ष के मार्च माह के मांग एवं संग्रहण विवरण में विभिन्न कारकों अर्थात वसूली हेतु कोई परिसम्पति नहीं/अपर्याप्त परिसम्पत्तियां, परिसमापन/बीआईएफआर के तहत् मामलों, निर्धारिती का पता न लगना, न्यायालयों/आईटीएटी/आईटी प्राधिकरणों द्वारा स्थगित मांग, टीडीएस/पूर्व भुगतान किए गए कर बेमेल थे, आदि, जिनके कारण मांग की वसूली दुष्कर हो गई, का विश्लेषण किया गया था। यह मांग वर्ष दर वर्ष बढ़ रही है और यह

वि.व. 2016-17 में 98.6 *प्रतिशत* के प्रति वि.व. 2017-18 में मांग के कुल बकाया का 98.2 *प्रतिशत* हैं।

1.9 अपील मामलों के निपटान

1.9.1 तालिका 1.12 वि.व. 2013-14 से वि.व. 2017-18 के दौरान सीआईटी (अपील) के समक्ष अपील के मामलों के निपटान और लम्बन की प्रवृत्ति को दर्शाती है।

तालिका 1.12: सीआईटी (ए) द्वारा अपील के मामलों का निपटान

वित्तीय वर्ष	निपटान हेतु बकाया अपील मामले	निपटाए गए अपील मामले	लंबित अपील मामले	प्रतिशतता में लम्बन	अपील मामलों में अवरूद्ध राशि
	(संख्या लाख में)				(₹ करोड़ में)
2013-14	3.03	0.88	2.15	71.0	2,87,444
2014-15	3.06	0.74	2.32	75.8	3,83,797
2015-16	3.53	0.94	2.59	73.3	5,16,250
2016-17	4.08	1.18	2.90	71.1	6,11,227
2017-18	4.25	1.21	3.04	71.7	5,18,647

स्रोत: आयकर प्र. महानिदेशालय (प्रशा. एवं करदाता सेवाएं), शोध एवं सांख्यिकी विंग

1.9.2 वि.व. 2017-18 में सीआईटी (अपील) के पास अपील मामलों में अवरोधित राशि भारत सरकार के संशोधित राजस्व घाटे से अधिक है।

1.9.3 निम्न तालिका 1.13, 31 मार्च 2018 को आयकर अपीलीय न्यायाधिकरणों (आईटीएटीज)/उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में लंबित अपीलों/याचिकाओं और अन्य मामलों की स्थिति दर्शाती है।

तालिका 1.13: आईटीएटीज/उच्चन्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय के साथ लंबित अपील/याचिकाऐं और अन्य मामले

प्राधिकरण जिसके पास लंबित है	लंबित मामले (संख्या में)	अवरोधित राशि (₹ करोड़ में)
आईटीएटीज़	37,353	2,34,999
उच्च न्यायाल	39,066	1,96,053
सर्वोच्च न्यायालय	6,224	11,773
कुल	**82,643**	**4,42,825**

स्रोत: आयकर प्र. महानिदेशालय (प्रशा. एवं करदाता सेवाएं), शोध एवं सांख्यिकी विंग

1.9.4 उच्चतर स्तरों (आईटीएटीज/उच्च न्यायालयों/सर्वोच्च न्यायालय पर अपीलों में अवरूद्ध राशि 31 मार्च 2017 को ₹ 4.40 लाख करोड़ (82,806 मामलों) की तुलना में 31 मार्च 2018 को ₹ 4.43 लाख करोड़ (82,643 मामलों) तक बढ़ गई थी।

1.10 अन्वेषण एवं जब्ती तथा सर्वेक्षण

अन्वेषण एवं जब्ती[22] तथा सर्वेक्षण[23], मुख्य प्रमाण संग्रहण तंत्रों में से एक है जो कि उन मामलों में प्रयुक्त होते हैं जहॉ कर-वंचन के बारे में विश्वसनीय सूचना आईटीडी के अधिकार में है। निम्न तालिका 1.14, वि. व. 2013-14 से वि.व. 2017-18 तक के दौरान किए गए अन्वेषण एवं जब्ती तथा सर्वेक्षण और अप्रकटित आय स्वीकृत/पता लगाई गई को दर्शाती है।

तालिका 1.14: अन्वेषण एवं जब्ती तथा सर्वेक्षण के मामलों की स्थिति **(₹ करोड़ में)**

वित्तीय वर्ष	अन्वेषण किए गए समूहों की संख्या	स्वीकार की गई अप्रकटित आय (तलाशी और जब्ती में)	किए गए सर्वेक्षणों की संख्या	पता लगाई गई अघोषित आय (सर्वेक्षणों में)
2013-14	569	10,792	5,327	90,391
2014-15	545	10,288	5,035	12,820
2015-16	447	11,226	4,428	9,700
2016-17	1,152	15,497	12,526	13,716
2017-18	577	15,913	13,487	9,634

स्रोत: जांच संकद, सीबीडीटी

वि.व. 2017-18 के दौरान, वि.व. 2016-17 से संबंधित आंकड़ों की तुलना में अन्वेषण एवं जब्ती के दौरान स्वीकृत की गई अप्रकटित आय 2.7 *प्रतिशत* तक बढ़ी और सर्वेक्षण के दौरान जांची गई दर्शाई न गई आय 29.8 *प्रतिशत* तक कम हुई।

1.11 आंतरिक लेखापरीक्षा की प्रभावकारिता

1.11.1 आंतरिक लेखापरीक्षा विभागीय नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो यह आश्वासन प्रदान करता है कि अधिनियम के प्रावधानों के सही कार्यान्वयन द्वारा मांग/प्रतिदाय सही ढंग से संसाधित किए जा रहे हैं। आयकर विभाग की आंतरिक लेखापरीक्षा ने वि.व. 2016-17 में लेखापरीक्षित 1,88,110 मामलों के प्रति वि.व. 2017-18 में 1,89,409 मामलों की लेखापरीक्षा पूर्ण की।

1.11.2 तालिका 1.15 वि.व. 2013-14 से वि.व. 2017-18 तक प्रत्येक पॉच वर्षों के लिए उठाई गई, निपटाई गई और लम्बित आंतरिक लेखापरीक्षा आपत्तियों का विवरण दर्शाती है:

22 किसी भी अघोषित आय या कीमती वस्तुओं का पता लगाने के लिए अधिनियम की धारा 132 के तहत अन्वेषण एवं जब्ती की जाती है।

23 किसी भी जानकारी को एकत्र करने के लिए अधिनियम की धारा 133ए और 133बी के तहत सर्वेक्षण किया जाता हे, जो आईटीडी के लिए कर अपवंचन रोकने में उपयोगी हो सकता है।

तालिका 1.15: आंतरिक लेखापरीक्षा टिप्पणियों का विवरण								(₹ करोड़ में)
वित्तीय वर्ष	प्रारंभिक शेष		वृद्धि		निपटान		लम्बन	
	मामले	राशि	मामले	राशि	मामले	राशि	मामले	राशि
2013-14	36,212	10,677	14,423	8,951	26,322	8,610	24,313	11,018
2014-15	20,834^	8,368	9,927	2,292	15,586	3,805	15,175	6,855
2015-16	19,137^	8,023	13,148	6,463	12,891	2,205	19,394	12,281
2016-17	19,405^	12,283	12,972	2,451	11,256	3,352	21,121	11,382
2017-18	21,129^	11,295	13,297	2,562	9,062	1,283	25,364	12,575

स्रोत: आयकर निदेशालय (आयकर एवं लेखापरीक्षा); ^मार्च को समाप्त तिमाही समाप्त तिमाही हेतु तिमाही विवरण के प्रस्तुतीकरण के बाद संबंधित सीज़आईटी (लेखापरीक्षा) द्वारा सत्यापन के बाद संशोधित आंकड़े।

1.11.3 वि.व. 2016-17 में 12,439 मामलों में से 4,126 मामलों (33.2 *प्रतिशत*) की तुलना में आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए 6,267 मुख्य आपत्तियों के मामलों[24] में से निर्धारण अधिकारियों (एओज) ने, वि.व. 2017-18 में केवल 1,613 मामलों (25.7 *प्रतिशत*) पर कार्य किया। एओ द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा आपत्तियों पर कार्य (फोलो अप) में सुधार किये जाने की आवश्यकता है।

24 2017 के निदेश सं 6 (दिनांक 21.7.2017) के अनुसार, मुख्य आंतरिक लेखापरीक्षा आपत्तियों की मौद्विक सीमा ₹ दो लाख से 10 लाख तक बढ़ा दिया गया है।